

परिशिष्ट-IV-क [(नियम 8(6) का परन्तुक देखें)]  
अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का सांकेतिक कब्जा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे उल्लिखित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं (प्रतिभूत लेनदार) की बकाया राशि एवं व्याज तथा अन्य शुल्क की वसूली के लिए निम्नलिखित सम्पत्तियों को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निर्धारित तिथि को बेची जाएगी। प्रत्येक सम्पत्ति के लिए आरक्षित मूल्य एवं ईएमडी राशि नीचे दी गई है:

| क्र. सं. | शाखा का नाम<br>कर्जदार/<br>जमानतदार/<br>बंधककर्ता का नाम                             | बकाया राशि                                                                                                                               | संपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. आरक्षित मूल्य<br>2. ईएमडी<br>3. बीड वृद्धि राशि<br>4. ई-नीलामी की तिथि एवं समय                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | शाखा: गोढ़वा<br>उमेश्वर कुमार<br>पिता-स्व.<br>दीपनारायण प्रसाद<br>एवं काजल<br>कुमारी | रु.10,44,918.24<br>(रु. दस लाख चौब्यालीस हजार नौ सौ अठारह एवं पैसे चौबीस मात्र) दि. 31.12.2025 तक + उसपर अतिरिक्त व्याज और कानूनी शुल्क। | अचल सम्पत्ति का विवरण: सम्पत्ति (जमीन एवं भवन) का साम्यिक बंधक जो श्री उमेश्वर कुमार पिता-स्व. दीपनारायण प्रसाद के नाम से है जिसका सेल डीड नं.-1274 तिथि 24.01.2013 है जो मौजा-अमर चत्तीनी, वार्ड नं.-17, धाना-चत्तीनी, अंचल-मोतिहारी सब रजिस्ट्री: मोतिहारी, थाना नं.-221, तीजी नं.-951, जे.बी. नं.-1266, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार में अवस्थित है, खाता नं.-99, प्लॉट/खेसरा नं.-511, रकबा-0.99 डिसेमिल या 03 धुर, सम्पत्ति का चौहद्दी: डीड के अनुसार: उत्तर-खुशबु देवी, दक्षिण-मुस्तरी, पूरब-रास्ता 8 फीट, पश्चिम-सूर्य नारायण सिंह। | 1. ₹15,45,000/-<br>2. ₹1,55,000/-<br>3. ₹10,000/-<br>4. 07.07.2026<br>सुबह 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक |

सुरक्षित ऋणदाता को ज्ञात भर: शून्य

इसे सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के अंतर्गत उक्त ऋण के उधारकर्ता/ओं और जमानतदार/ओं को उक्त तिथि पर ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में सूचना के रूप में भी माना जा सकता है।

ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता <https://ebkray.com> के साथ अपने विवरण पहले से ही पंजीकृत कर लेने चाहिए और उन्हें उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को केवल पासवर्ड बदलने की सलाह दी जाती है। बोलीदाता शैक्षिक वीडियो के लिए <https://ebkray.com> पर जा सकते हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट: [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) पर दिए गए लिंक को देखें।

बोलीदाता वेबसाइट <https://ebkray.com> पर पंजीकरण करेगा और केवाईसी दस्तावेज अपलोड करेगा और सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, <https://ebkray.com> से चालान तैयार करने के बाद ईएमडी को एनईएफटी/ट्रांसफर के माध्यम से ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में जमा किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे <https://ebkray.com> के केंद्रीय हेल्परडेस्क नं.-033-22901004 पर संपर्क कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए शाखा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गोढ़वा शाखा (मोबाइल नंबर-9264292148) या प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, मोतिहारी (मोबाइल नंबर-9264292124) पर संपर्क कर सकते हैं या बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार) की वेबसाइट [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) या [www.ibapi.in](http://www.ibapi.in) पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना

दिनांक : 29.05.2026

स्थान : मोतिहारी

नोट:- विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी  
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

से लीव  
के भ  
आखिर  
लिया  
प्रशास  
पंचायत  
चयन  
(मापी  
सामुदा  
निर्माण  
ही स्व  
स्थल न  
खींचत  
लंबे स

देखें

□ भाज  
का!

भाजपा  
प्रशिक्षण  
शुभारंभ  
हुआ. दे  
वर्ग के।  
से कार्य  
मीडिया,  
और का  
प्रशिक्षण  
जनसंघ  
और फि  
आधारि  
गई.प्रशि  
एवं पूर्व  
सिंह, 1  
प्रशिक्षण  
ओमप्रव  
सरकार  
कुमार न  
सत्र में